न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, संभाग रीवा म0प्र0

(कैम्प कोर्ट रीवा)

R. 1677-II/13 रामसनेही सिंह तनय श्री रामकुमार सिंह निवासी ग्राम अवेर तहसील कोटर जिला सतना म0प्र0...निगराकार

वनाम

श्रीमती सुनीता सिंह पुत्री श्री हीरा सिंह पत्नी श्री राकेश सिंह निवासी ग्राम अवेर तहसील कोटर जिला सतना म0प्र0..गैरनिगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 11.03.13

प्रकरण क्रमांक 8अ70/12-13 न्यायालय

तहसीलदार तहसील कोटर जिला सतना

म0 प्र0

निगरानी अंतर्गत धारा 50 का0 मा0

मान्यवर,

निगराकार निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के संछिप्त तथ्य

यह कि निगराकार द्वारा अपने स्वत्व व आधिपत्य की अराजी नम्वर 164/1 रकवा 0.15 ए0, 165/1 रकवा 1.20 ए0 163/1क रकवा 1.98 ए0 स्थित मौजा अवेर का सीमांकन वावत् आवेदन प्रस्तुत किया जिसका सीमांकन दिनांक 09.11.12 से 11.11.12 तक किया गया, सीमांकन के दौरान पाया गया कि आराजी नम्वर 163/1क रकवा 1.98 ए0 के अंश रकवे 0.58 ए0 अनावेदिका/गैरनिगराकार का अवैध ढंग से अपने पट्टे की भूमि से अधिक रकवे पर फसल बोकर कब्जा पाया गया। निगराकार/आवेदक द्वारा गैरनिगराकार को वेदखल कर क़ब्जा दिलाये जाने व बाजार मूल्य का 20 गुना जुर्माना अधिरोपित किये जाने का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ

(52)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1677-दो/13 **जिला** - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/04/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार कोटर के प्रकरण क्र. 8/अ-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2019 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	